न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/112

भीमसिंह पुत्र दुर्गादान सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम फाणदा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. संतोष बाई पुत्री दुर्गादान सिंह पत्नी भंवर सिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम फाणदा हाल निवासी कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. श्रीमती अनोख बाई पुत्री श्री दुर्गादान सिंह पत्नी रामसिंह जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम फाणदा हाल मुकाम सरोलीय फोफलिया तहसील मनाता जिला नीचम (मध्य प्रदेश)
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।
4. उप पंजीयक उप तहसील चेचट जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 27.06.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. तत्पश्चात् अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.03.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलान्ट बहस में उपस्थित नहीं हुए ऐसी स्थिति में प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता की बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार प्रार्थी अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है केवल मात्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उस अनुतोष चाहा है जो मेन्टेनेबल नहीं है ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा